आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)(बी) के तहत रिफंड दावा दाखिल करने में देरी और घाटे को आगे ले जाने के दावे की माफी

परिपत्र संख्या 7/2023 [एफ.सं. 312/63/2023-ओटी], दिनांक 31-5-2023

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (बोर्ड) द्वारा एफ.सं. 312/22/2015-ओटी में दिनांक 9-6-2015 को परिपत्र संख्या 9/2015 (परिपत्र) जारी किया गया था, जो सभी पूर्ववर्ती अनुदेशों/परिपत्रों/दिशानिर्देशों के स्थान पर जारी किया गया था। परिपत्र में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)(बी) के अंतर्गत रिफंड का दावा करने वाले आयकर रिटर्न (आरएसओआई) और नुकसान को आगे ले जाने और उसके सेटऑफ का दावा करने वाले आरएसओआई दाखिल करने में देरी के लिए माफी के लिए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए अपनाई जाने वाली शर्तों और प्रक्रिया पर व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे।

2. विचार करने पर, परिपत्र के पैरा संख्या 2 में निर्दिष्ट मौद्रिक सीमाओं को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

(i) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त (प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयकर आयुक्त) को ऐसे आवेदनों/दावों को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ प्रदान की जाएँगी, यदि ऐसे दावों की राशि किसी एक कर निर्धारण वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक न हो।

(ii) प्रधान आयकर आयुक्त (सीसीआईटी) को ऐसे आवेदनों/दावों को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ प्रदान की जाएँगी, यदि ऐसे दावों की राशि किसी एक कर निर्धारण वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक हो, लेकिन 2 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

(iii) प्रधान आयकर आयुक्त (प्रधान आयकर आयुक्त) को ऐसे आवेदनों/दावों को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ प्रदान की जाएँगी, यदि ऐसे दावों की राशि किसी एक कर निर्धारण वर्ष में 2 करोड़ रुपये से अधिक हो, लेकिन 3 करोड़ रुपये से अधिक न हो।

(iv) 3 करोड़ रुपये से अधिक राशि के आवेदनों/दावों पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

3. ऊपर निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारियों के संबंध में आवेदनों/दावों के लिए उपरोक्त संशोधित मौद्रिक सीमाएं 01-06-2023 को और उसके बाद दायर किए गए आवेदनों/दावों पर लागू होंगी।

4. परिपत्र संख्या 9/2015, दिनांक 9-6-2015 में निर्धारित अन्य दिशानिर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।

बेदोबनी चौधरी
निदेशक (ओटी और डब्ल्यूटी)